(200)

Virangana Durgavati WLS

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 1997—पौष 17, शक 1918

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 1997

क्र. एफ. 14-33-94-दस-2.—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शाई गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वनक्षेत्र वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु पारिस्थितिकी, पशु, वनस्पति, भू-भाग की संरचना, प्राकृतिक एवं जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है, अतः वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का क्र. 53) की धारा 26-अ (1) (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से "वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य" घोषित करता है :—

अनुसूची

जिला	—	दमोह
वन मंडल	—	दमोह
तहसील	—	जबेरा
परिक्षेत्र	—	सिंग्रामपुर
वनखण्ड	—	सिंग्रामपुर आरक्षित खण्ड
अभ्यारण्य का नाम	—	वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य

अभ्यारण्य में सम्मिलित क्षेत्र—	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
	(1)	(2)
	308	600.50
	309	429.00
	[illegible]	580.70
	312	266.30
	313	520.80
	कुल क्षेत्रफल . .	2397.30

सीमाओं का विवरण :

उत्तर.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-300 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-21 एवं पी-19 की सीमा.

पूर्व.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-311 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-4 ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-3 की सीमा, ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-2 की सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-315 की सीमा.

दक्षिण.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-314 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-73 व पी-74 की सीमा तथा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-317 की सीमा.

पश्चिम.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-307 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-64 की सीमा, ग्राम चंदरकाला की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 1997

क्र. एफ. 14-33-94-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जनवरी 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th January 1997

No. F. 14-33-94-X-2.—Whereas the State Government considers that the Reserved Forest area specified in the Schedule below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propogating and developing Wild Life and Environment, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26-A (1) (b) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. LIII of 1972), Madhya Pradesh Government hereby declares the said area as "Veerangana Durgavati Sanctuary" from the date of publication of this notification.—

SCHEDULE

District	—	Damoh
Forest Division	—	Damoh
Tehsil	—	Jabera
Range	-	Singrampur
Block	—	Singrampur Reserved Forest
Name of Sanctuary	—	Veerangna Durgavati Sanctuary

Area included—

Comptt. No. (1)	Area in ha. (2)
308	800.50
309	429.00
310	580.00
312	266.30
313	520.30
Total Area ..	2392.30

Description of Boundaries :

North.—Boundary of Reserved Forest Compartment No. 300 Protected Forest Comptt. No. P-21 and P-19.

East.—Boundary of Reserved Forest Comptt. No. 311, Protected Forest Comptt. No. P-4, Boundary of Village Tilgawan, Boundary of Protected Forest Comptt. No. P-3, Boundary of village Tilgawan, Protected Forest Comptt. No. P-2, Reserved Forest Comptt. No. 315.

South.—Boundary of Reserved Forest Comptt. No. 314, Protected Forest Comptt. No. P-73, P-74 and Reserved Forest Comptt. No. 317.

West.—Reserved Forest Comptt. No. 307, Protected Forest Comptt. No. P-64, village boundary of Bandarkola Village.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.